"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2025 — श्रावण 3, शक 1947

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जुलाई 2025

आदेश

क्रमांक ESTB-1/1138/2025-LABOUR.— कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 की 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हिम शिखर गुप्ता (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चेतन बोरघरिया, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th July 2025

NOTIFICATION

No. ESTB-1/1138/2025-LABOUR.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications in this respect, the Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri Him Shikhar Gupta (I.A.S.) Labour Commissioner Chhattisgarh, to be Chief Inspector of Factories for the State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHETAN BORGHARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.